<u>समाचार–प्रकाशनार्थ :–</u>

स्वच्छता और जल संरक्षण आज की महती जरुरत

विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवियों ने नागरिकों से अमृतसागर तालाब को सहेजने का आव्हान किया

रतलाम 02 फरवरी । यह निर्विवाद सत्य है कि सभी जीवित प्राणियों की उत्पत्ति जल में हुई है। पानी के बिना जीवन जीवित ही नहीं रहेगा। इसी कारणवश अधिकांश संस्कृतियां नदी के पानी के किनारे विकसित हुई हैं इस प्रकार 'जल ही जीवन है' का अर्थ सार्थक है। पानी की बचत आज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। विश्व झील दिवस के अवसर पर हमे संकल्प लेना चाहिए कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ ही प्राचीन जल स्त्रोंतो का भी संरक्षण करना और इन्हे सहजने में सभी की भागीदारी होना चाहिए।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के मार्गदशन में मंगलवार को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर शहर के अमृतसागर बगीचे में नगर निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उक्त विचार समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने व्यक्त किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रतलाम स्वच्छता अभियान समिति के अध्यक्ष श्री अनोखीलाल कटारिया थे।

विशिष्ट अतिथि के तौर पर शहर के वरिष्ट समाज सेवी ओ.पी.मिश्रा, सेवानिवृत्त प्राचार्य, कांतीलाल जी मेहता, समाज सेवी राधावल्लभ जी, खण्डेलवाल, खुशालसिंह पुरोहित, पर्यावरणविद, विनोद मेहता ,सुरेन्द्र सुरेखा जीं, अमृतलाल जी, राजेन्द्र पोरवाल, विनोद राठौर, इकका बैलूत, अनिल कटारिया, मदन शर्मा, रहे। उपस्थित समाज सेवीयो ने वेटलैंड के प्रति लोगो को जागरुक करते हुऐ कहा की नमी या दलदली भूमी को आद्रभूमी या वेटलैंड कहा जाता है।

विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों ने कहां अमृतसागर तालाब प्राचीन तालाब है। किसी समय यह शहर का बड़ा तालाब हुआ करता था, लेकिन लगातार अनदेखी के कारण आज यह दुर्दशा का शिकार है। नगर निगम के प्रयासों से इस तालाब के संरक्षण की बड़ी योजना बनी है जो जल्द ही साकार रुप लेगी। इसके साथ ही नागरिकों को भी इस तालाब के साथ ही शहर के प्राचीन जल स्त्रोतों के संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए।

इस कार्यक्रम का संचालन शेलेन्द्र गोठवाल ने किया। नगर पालिका निगम की ओर से सहायक यंत्री अरविन्द दशोत्तर, अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक, विक्रमसिंह गेहलोत, जितेन्द्र , पवन, ईशवर, जगदीश, बाबु वरदा, पुष्कर मोहन, मनोहर नंदराम, सीमा दिनेश, कैलाश गणपत, मुकेश लक्ष्मणदास आदि उपस्थित रहे।

इस मौके पर सफाई मित्र समूह के सदस्यों ने स्वच्छता का संदेश देने वाली आकर्षक रांगोली का निर्माण किया, यहां अनोखीलाल कटारिया ने

शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प दिलाते हुए कहां कि शहरवासियों को संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर और दुकानों के कचरे को सडक, नाले व नालियों में नहीं फेंकेगे। अपने कचरे का निपटान कचरा गाडियों में ही करेगे।

गंदगी करने पर 22 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 02 फरवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां–वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार महू रोड बस स्टैण्ड पर गंदगी करने पर हितेन्द्र पर 1000, नरेन्द्र पर 500, श्रीलाल पर 250, लक्ष्मण पर 200, शेख, राजू, अशोक, भेरूसिंह, बृजराज, कल्याण पर 100–100, चन्द्रप्रकाश, भेरूलाल, अशोक, मदन सिंह, विनोद, भुरालाल, शशुद्र, तुलसी, हेमन्त पटेल, जमना, अशोक, महेन्द्र कुमार पर 50–50 रूपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे है लीकेज दुरस्त

103 दिनों में 138 वॉल्व व 695 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 02 फरवरी । शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 02 फरवरी तक 138 वॉल्व व 695 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

''रतलाम जलशक्ति अभियान'' व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड़ की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 02 फरवरी मंगलवार को सिद्धांचलम कालोनी, राम मंदिर के बाहर, ओसवाल नगर, राजेन्द्र नगर, पटवारी कालोनी, मार्निंग स्टार स्कूल के पास व अलकापुरी हनुमान मंदिर के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्त किया गया साथ ही गौशाला रोड पर 2 वॉल्व दुरस्त किये गये।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
622 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 02 फरवरी । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 02 फरवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 622 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 02 फरवरी को जावरा रोड, डी–मार्ट, महावीर नगर से 4 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

कस्तुरबा नगर में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
नागरिकों ने 14,34,000/– संपत्तिकर व 3,20,495/– जलकर जमा कराया

रतलाम 02 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू–भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/– व जलकर 6,000/–, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/– व जलकर 55,775/–, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/– व जलकर 49,010/–, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/– व जलकर 43,670/–, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22000/– व जलकर 29,280/–, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/– व जलकर 19,850/–, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/– व जलकर 48,220/–, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/– व जलकर 14,000/–, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 3,19,000/– व जलकर 54,690/– की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 14,74,000/– संपत्तिकर व 3,20,495/– जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 व 10 के 3 फरवरी को कस्तुरबा नगर सारस्वतजी के मकान के सामने, वार्ड क्रमांक 9 व 10 के लिये 4 फरवरी को प्रियदर्शनी नगर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 5 से 6 फरवरी तक को डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 46, 47 व 48 के लिये 8 फरवरी को हाट रोड माताजी का मंदिर, वार्ड क्रमांक 11 व 12 के लिये 09 फरवरी को कलीमी कालोनी, वार्ड क्रमांक 18 के लिये 3 से 10 फरवरी को राजेन्द्र नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

दिव्यांगजन युडीआईडी प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रतलाम 02 फरवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण–पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण–पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें ।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 02 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 02 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज

कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 02 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/02.02.2021/न.पा.निगम, रतलाम.